Hkkjrh; turk ikVh

(केंद्रीय कार्यालय)

11 अशोक रोड, नई दिल्ली–110001

दूरभाष : 233005700; **फैक्स** : 23005787

दिनांक : 05 मार्च, 2010

दत्तमूल्य समाचारों (Paid News) पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर नेता प्रतिपक्ष (राज्यसभा) श्री अरूण जेटली द्वारा दिए गए भाषण के संक्षिप्त बिंदु

भारतीय चुनावों में धन के उपयोग की बुराई में विगत कुछ वर्षों में भारी वृद्धि हुई है। चुनावों में अत्यधिक व्यय से सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार पनपता है। प्रतिफल के बदले राजनीतिक पक्षपात किया जाता है। इस तरह के लेन–देन में खासी वृद्धि हुई है।

हाल में हुए चुनावों में देखने में आया है कि प्रत्याशियों द्वारा किए गए व्यय का भारी हिस्सा "दत्तमूल्य समाचारों" हेतु भुगतान के लिए व्यय हुआ है। दत्तमूल्य समाचार मीडिया में भ्रष्टाचार का समानार्थी होता है। जो समाचार–पत्र और चैनल दत्तमूल्य समाचार देते हैं, वे इस प्रिमाइज (Premise) पर काम करते हैं कि चुनाव के दौरान प्रत्याशियों को भुगतान करना चाहिए। यदि मीडिया संगठनों को यथेष्ठ रूप में भुगतान कर दिया जाता है तो वे समाचारों को तोड़–मरोड़ देंगे और प्रतिपक्षी उम्मीदवार के समाचार का विलोपन कर देंगे। भुगतान न किए जाने पर प्रत्याशी के चुनाव अभियान के समाचार नहीं दिए जाएगें। मीडिया संगठनों के वाणिज्यिक प्रतिनिधियों के लिए अब यह आम बात हो गई है कि वे "न्यूज पैकेजिज़" के लिए उम्मीदवारों तथा राजनीतिक दलों से संपर्क साधते हैं। हाल के चुनावों में समाचार संगठनों के अलावा कुछ इलैक्ट्रॉनिक चैनलों ने "दत्त समाचारों" की वैकल्पिक विधि वैध रूप में अपनाई। आम चुनावों के दौरान राष्ट्रीय समाचार चैनलों ने अपनी विज्ञापन दरों में कई गुना वृद्धि करने का निर्णय किया था। एक cartel की रचना की गई थी। Cartel को प्रसारकों की सामूहिक संस्था की स्वीकृति प्राप्त थी। वाणिज्यिक विज्ञापनों और चुनावी विज्ञापनों की दरों के बीच भारी अंतर था। इसको इलैक्शन प्रीमियम के रूप में औचित्यपूर्ण ठहराया गया था। चैनलों के प्रतिनिधियों ने राजनीतिक दलों को सूचित किया था कि इस अतिरिक्त प्रभार से राजनीतिक दलों की विज्ञापनों के साथ–साथ रैलियों और प्रेस सम्मेलनों के आंखों–देखे कवरेज द्वारा प्रतिपूर्ति हो जाएगी।

कानूनों का उल्लंघन

"दत्तमूल्य समाचार" मीडिया के लिए रिश्वत है। इसके कारण स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की प्रक्रिया निषेधित होती है। इसके द्वारा उस व्यक्ति के पक्ष में, जो भुगतान कर सकता है, राजनीतिक माहौल को तोड़ा–मरोड़ा जाता है। इसके कारण चुनावों में निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित व्यय सीमा का उल्लंघन होता

है। दत्तमूल्य समाचारों के प्रतिफल के रूप में काला धन आयकर अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है।

मीडिया की विश्वसनीयता लोकतंत्र की विश्वसनीयता पर प्रतिबिंबित होती है। मीडिया संगठनों के हाथ में वाक् स्वतंत्रता द्वितीयक होती है। प्राथमिक अधिकार पाठक अथवा दर्शक का होता है। उसको सही, बिना लाग–लपेट वाले समाचार पाने का अधिकार है, जो उसको नहीं मिल पाते हैं। उसको यह तक भी पता नहीं होता है कि जो समाचार वह पढ़ता है, वे धनीय प्रतिफलों से प्रेरित होते हैं।

<u>उपचार</u>

शुरू में यह बुराई लगभग एक दशक पहले देखने में आई थी गत कुछ वर्षों में यह बुराई वायरस की तरह बढ़ गई। यदि इस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के आधार का अवमूल्यन कर डालेगी। निम्न कार्रवाई करके समस्या के समाधान का सुझाव दिया जाता है :–

1. संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत गारंटित वाक् और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता स्वतंत्र भाषण को संरक्षित करती है। यह व्यापार और कारोबार का बचाव नहीं करती है। यह उस कारोबार का बचाव तो बिलकुल भी नहीं करती है, जिसका प्रयोजन ही विधि–विरूद्ध हो। अर्थात् जिससे कराधान कानूनों, चुनाव कानूनों आदि का उल्लंघन होता हो तथा जिससे अपमिश्रित समाचारों के द्वारा पाठक/दर्शक का मस्तिष्क प्रदूषित होता हो। यह स्पष्ट रूप से समझ लिया जाना चाहिए कि दत्तमूल्य समाचार स्वतंत्र वाक् नहीं है। इसको संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) का संरक्षण प्राप्त नहीं है। अतः इसके किसी भी प्रतिबंध को अनुच्छेद 19(2) के तहत विहित प्रतिबंधों के आधार पर नहीं परखा जाएगा।

2. दत्तमूल्य समाचार, अधिक से अधिक कारोबार या व्यापार होता है। इसको किसी भी ऐसी विधि से प्रतिबंधित किया जा सकता है, जो आम जनता के हित में हो। इस कारोबार के पीछे अवैध प्रयोजन रहता है। अतः इस व्यवस्था के वास्ते प्रतिफल दिया जाना भी विधि–विरूद्ध है। भारतीय विधि और साथ ही कॉमन लॉ के तहत किसी विधि विरूद्ध उद्देश्य के लिए किया गया कोई भी करार या प्रबंध भी विधि–विरूद्ध होता है। अतः राज्य को इसको प्रतिषिद्ध करने का हक है।

3. एक ऐसा विधान होना चाहिए, जो निर्वाचन आयोग को रिटर्निंग अधिकारी से रिपोर्ट की प्राप्ति पर अथवा अन्यथा रूप में उक्त मामले को कानून के तहत सृजित अधिकरण को निर्दिष्ट करने का अधिकार प्रदान करे। अधिकरण में कोई सेवारत् न्यायाधीश शामिल किया जाए। निर्वाचन आयोग को मामले की प्राथमिक जांच करने के बाद ऐसी शिकायतों को अधिकरण को निर्दिष्ट कर देना चाहिए। प्रत्याशी/राजनीतिक दल को और मीडिया संगठन को अवसर प्रदान करने के बाद अधिकरण को आवश्यक आदेश पारित करने के लिए सशक्त होना चाहिए। अधिकरण का

काम एक नियामक के समान हो सकता है, जो सुनिश्चित करे कि "दत्तमूल्य समाचारों" की संस्था मतदाता के मस्तिष्क को प्रदूषित नहीं करती है।

यदि अधिकरण का यह मत हो कि किसी मीडिया संगठन ने दत्तमूल्य समाचारों का सहारा लिया है अथवा अन्य संगठनों के साथ Cartel निर्मित किया है ताकि वे दत्तमूल्य समाचारों के वास्ते उपयोग में लाया जाने वाला धन प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से खसोट सकें, तो अधिकरण समूचित आदेश पारित करेगा।

वर्तमान वैश्विक पृवत्ति यह है कि यदि ऐसे नियामकों को कोई व्यक्ति दोषी मिलता है तो वे उसको अत्यधिक कड़ी सजा देते हुए आदेश पारित कर सकते हैं। उदाहरणार्थ प्रतियोगिता आयोग डोमिनेंट पोज़ीशन के दुरूपयोग अथवा unfair cartels का पता लगने पर कड़ा दंड देने के लिए शक्तिसंपन्न है। इसी प्रकार दत्तमूल्य समाचारों हेतु प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार पाए जाने पर मीडिया संगठनों तथा राजनीतिक दलों पर उपयुक्त शास्ति अधिरोपित की जा सकती है।

प्रत्याशी

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 को उपयुक्त रूप में संशोधित किया जा सकता है ताकि उसमें धारा 123 के अधीन भ्रष्ट आचरण की परिभाषा के संशोधन हेतु प्रावधान किया जा सके और उसके द्वारा दत्तमूल्य समाचारों का सहारा लिए जाने को भ्रष्ट आचरण के रूप में सम्मलित किया जा सके। यह किसी प्रत्याशी के चुनाव को अकृत करने हेतु एक आधार हो सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी पराजित अथवा विजयी उम्मीदवार को जो चुनाव अभियान को साधित करने के लिए दत्तमूल्य समाचारों का सहारा लेता है, छह वर्ष की अवधि के लिए अनर्ह घोषित किया जा सके।